



Neutral Citation No. - 2026:AHC:51646-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - सी संख्या - 20443 वर्ष 2014

नरेंद्र कुमार एवं अन्य

.....याचिकाकर्तागण

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य

.....प्रत्यर्थागण

याचिकाकर्तागण के अधिवक्ता	: अमरजीत उपाध्याय
प्रत्यर्थागण के अधिवक्ता	: जगदीश पाठक, एस.सी., नितिन कुमार अग्रवाल, राजेश यादव

मुख्य न्यायमूर्ति का न्यायालय

**माननीय मुख्य न्यायमूर्ति अरुण भंसाली
माननीय न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेंद्र**

1. प्रस्तुत याचिका वर्ष 2014 में याचिकाकर्तागण द्वारा इस प्रार्थना के साथ दायर की गई थी कि प्रत्यर्थागण को निर्देशित किया जाए कि वे विवादित भूमि से याचिकाकर्तागण को बेदखल न करें तथा प्रत्यर्था संख्या 3 एवं 4 के समक्ष प्रस्तुत मानचित्र को स्वीकृत किया जाए।
2. वाद में नोटिस निर्गत किए जाने का आदेश पारित किया गया, तथापि कोई अंतरिम आदेश प्रदान नहीं किया गया।
3. यह तथ्य दृष्टिगत है कि याचिका 'इस उच्च न्यायालय में लंबित सबसे प्राचीनवादों की श्रेणी, प्राथमिकता से सुनवाई हेतु' में सूचीबद्ध होने के उपरांत भी याचिकाकर्तागण की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ।
4. अभिलेख से प्रतीत होता है कि समय व्यतीत होने के कारण याचिकाकर्तागण की इस याचिका में रुचि समाप्त हो गई है; अतः याचिका को अभियोजन के अभाव में **निरस्त** किया जाता है।

(न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेंद्र) (मुख्य न्यायमूर्ति अरुण भंसाली)

दिनांक : 13 मार्च 2026

एन.डी./वी.एस.

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।